FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) बायतु

काकुराम बनाम तहसीलदार-गिड़ा

किस्म मुकदमा रा. वाद 88 रेन्ट एक्ट नं. 123/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.7.2020	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 88, रेन्ट एक्ट राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी ~~/प्रतिवादी~~/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29.7.2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/07/20	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 तहसीलदार गिड़ा का सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। सीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 18/08/2020 को पेश हो। [initials]	
18/08/20	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में [illegible] pw-1 - बाबुराम पुत्र [illegible]नाराम [illegible] रबारी निवासी-धोलू [illegible] तहसील-गिड़ा व pw-2 स्वतन्त्र गवाह श्री सुमेरसिंह पुत्र मगसिंह जाति-पुरोहित	दस्तखत काकुराम सुमेरसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested

निवासी - सणवता तहसील - गिड़ा के शपथ - पत्र
पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया
गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य
के व्यस्त होने से मिसल इत्तला होकर आगामी
दिनांक - 09/09/2020 को पेश हो।

09/09/2020 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 02/12/20 को पेश हों।

02/12/2020 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 10/02/21 को पेश हों।

10/02/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इत्तला होकर दिनांक 29/05/21 को पेश हो।

29/05/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इत्तला होकर दिनांक 25/08/21 को पेश हो।

25/08/21 [illegible] 29/09/21 [illegible] हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/09/21	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड तथा वादी की ओर से प्रस्तुत मय दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 123/2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
बाबुराम पुत्र चिमनाराम जाति रबारी निवासी धोलू, तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिड़ा

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.</u>

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादी

–: निर्णय :– **दिनांक : 29.09.2021**

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा धोलू पटवार मण्डल सणतरा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 431/272, 533/272, 537/288 रकबा क्रमशः 0.04, 23.10, 01.09 बीघा कुल रकबा 25.03 बीघा में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व वादी के दादा के कब्जे काश्ती की थी तथा वक्त सेटलमेंट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादी कब्जा काश्त है। उक्त आराजी में वादी का नाम हड़मानराम दर्ज हो गया जबकी वादी का सही नाम बाबुराम है। वादी के नाम से बने दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, परिचय पत्र में बाबुराम दर्ज है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम हड़मानराम के स्थान पर बाबुराम दर्ज किया जावें। जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। वादी वकील द्वारा साक्ष्य के रूप में PW-1 वादी स्वयं बाबुराम का शपथ पत्र व PW-2 स्वतंत्र गवाह सुमेरसिंह पुत्र मगसिंह जाति पुरोहित निवासी सणतरा के शपथ पत्र पेश किये गये।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी वकील को सुना गया। चूंकि वादी के नाम से बने दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, परिचय पत्र, ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र व अन्य खा[illegible] ख[illegible] आकडली धनसिंह तहसील पचपदरा में बाबुराम दर्ज है उक्त आराजी में भी हड़मानराम के स्था[illegible] बाबुराम घोषित करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा धोलू पटवार मण्डल सणतरा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

.1/272, 533/272, 537/288 रकबा क्रमशः 0.04, 23.10, 01.09 बीघा कुल रकबा 25.03 बीघा में हडमानराम पुत्र चिमनाराम के स्थान पर बाबुराम पुत्र चिमनाराम दर्ज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादी

बाबुराम पुत्र चिमनाराम
जाति रबारी निवासी धोलू, तहसील
गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार गिड़ा

दावा बाबत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–123/2020. **निर्णय दिनांक :–29.09.2021**

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.09.2021 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा धोलू पटवार मण्डल सणतरा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 431/272, 533/272, 537/288 रकबा क्रमशः 0.04, 23.10, 01.09 बीघा कुल रकबा 25.03 बीघा में हड़मानराम पुत्र चिमनाराम के स्थान पर बाबुराम पुत्र चिमनाराम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 12:59:59 IST
Reason: SelfAttested